नई और पुरानी औद्योगिक नीति में निवेशकों को दी जाएगी राहत

अमर उजाला ब्यूरो

औद्योगिक माहौल बढ़ाने के लिए अटके मामलों को हरी झंडी देने की तैयारी

लखनऊ। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बढ़ाने के लिए नई और पुरानी औद्योगिक नीति में राहत देने का प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है। इसके तहत निवेशकों को तीन श्रेणी में विभाजित कर लाभ दिया जाएगा। ऐसे निवेशक जिन्होंने औद्योगिक नीति-2017 के लिए आवेदन किया लेकिन कोई लाभ नहीं लिया। ऐसे निवेशक जिन्होंने औद्योगिक नीति 2017 के कुछ लाभ लिए।

ऐसे निवेशक जिन्होंने औद्योगिक नीति 2017 के तहत मिलने वाले पूरे लाभ लिए और नई औद्योगिक नीति के तहत भी लाभ लेने के इच्छुक हैं। तीनों ही मामलों में शासन को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। इसे जल्द अनुमति मिलने के उम्मीद हैं। उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्राधिकार समिति की बैठक में कुछ मुद्दे शीर्ष प्राथमिकता पर रखे गए। ऐसे निवेशकों का मुद्दा उठा, जिन्होंने औद्योगिक नीति-2017 के अंतर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का आवेदन किया था, लेकिन नहीं मिला। पर उन्हें स्टांप ड्यूटी में छूट मिल गई। उन निवेशकों पर भी चर्चा हुई, जिन्हें लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन किसी तरह का लाभ नहीं लिया।

विभाग के मुताबिक औद्योगिक नीति-2017 के तहत एलओसी लेकर उसका लाभ न लेने वाले निवेशकों को राहत दी जाएगी। ऐसे निवेशकों को विकल्प दिया जाएगा कि पूर्व की एलओसी को सरेंडर कर दें और नई नीति के मुताबिक फिर से एलओसी के लिए आवेदन करें। उन आवेदकों को भी मौका दिया जाएगा, जिन्हें एलओसी तो नहीं मिला लेकिन स्टांप ड्यूटी में छूट मिल गई। राज्य सरकार की किसी भी योजना में पहले छूट ले चुके निवेशकों को नई नीति में भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए या नहीं, इसके लिए सशर्त अनुमति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। वहीं, पुरानी नीति के तहत लाभ ले चुके निवेशकों को नई नीति के कुछ लाभ सशर्त मिल सकते हैं।